''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 12 के अनुरूप

शपथ पत्र

मैं, ..., पिता – ....,
.... का निवासी हूँ। मैं, ***''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025''*** के तहत मदिरा की खुदरा दुकानों के समूह की अनुज्ञप्ति लेने हेतु सभी अर्हताओं को पूरा करता हूँ एवं इस अनुज्ञप्ति की बंदोबस्ती लेने हेतु इच्छुक हूँ। मैं शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ कि –

1. यह कि मैं भारत का नागरिक हूँ एवं मेरी उम्र 21 वर्ष से अधिक है।
2. यह कि मैं/मेरा HUF/मेरा साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी समय–समय पर यथा संशोधित झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) के प्रावधानों के अनुकूल उस स्थान पर दुकान खोलने हेतु आपत्तिरहित उपयुक्त परिसर रखता हूँ/है अथवा किराये पर उस स्थान पर उपयुक्त परिसर का प्रबंध कर सकता हूँ/है एवं परिसर नहीं प्राप्त करने की स्थिति के लिए मैं/मेरा HUF/मेरा साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी जिम्मेवार होऊँगा/होगा (जो लागू न हो, उसे काट दें)।
3. यह कि प्रस्तावित दुकान के परिसर के निर्माण में किसी विधि अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं किया गया है।
4. यह कि मेरा/मेरे सभी साझेदारों/निदेशक मंडल के सभी सदस्यों का नैतिक चरित्र अच्छा है और मेरा/हममें से किसी का कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है और झारखंड उत्पाद अधिनियम, 2000 (पूर्व का झारखंड उत्पाद अधिनियम II, 1915) या स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी अधिनियम, 1985, झारखंड छोआ अधिनियम, 1947, औषधियों एवं प्रसाधन निर्मित्तियाँ (उत्पाद कर) अधिनियम, 1955 के अधीन दण्डनीय किसी अपराध या किसी अन्य संज्ञेय गैर जमानती अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया हूँ/किये गये हैं।
5. यह कि मैं/मेरा HUF/मेरा साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी किसी ऐसे व्यक्ति को विक्रेता या प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं करूँगा/करेगा, जिसका कोई आपराधिक पृष्ठभूमि हो या जो किसी संक्रामक रोग से ग्रसित हो या 21 वर्ष से कम उम्र का हो (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

6. यह कि अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने पर जिला के सहायक आयुक्त उत्पाद/अधीक्षक उत्पाद से अपने प्राधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि का फोटोयुक्त पहचान पत्र प्राप्त करूँगा एवं दुकान के विक्रेता, बिक्री काल में उसे पहने रहेंगे।

7. यह कि मेरे तथा मेरे HUF/फर्म/कम्पनी के उपर कोई लोक या राजकीय देयता का बकाया नहीं है (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

8. यह कि मैं तथा मेरे HUF/फर्म/कम्पनी सक्रिय रूप से अवैधानिक गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं है। यदि अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत भी यह प्रमाणित हो जाता है कि मैं/मेरा HUF/मेरे साझेदारी फर्म के साझेदार/मेरे कम्पनी के निदेशक मंडल के सदस्य अवैधानिक गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो मुझे/HUF/साझेदारी फर्म/कम्पनी को प्रदान की गई अनुज्ञप्ति निरस्त कर दी जाए। अनुज्ञप्ति निरस्त होने के फलस्वरूप पुनर्बंदोस्ती होने की मध्यावधि में राज्य सरकार को होने वाली राजस्व क्षति की वसूली भी मुझसे तथा मेरे HUF/साझेदारी फर्म/कम्पनी से कर ली जाय (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

9. यह कि मैं राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से आयुक्त उत्पाद द्वारा यथानिर्धारित धरोहर धनराशि (Earnest Money Deposit) विभाग के राजकीय खाते में विहित विधि अथवा डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जैसा कि आयुक्त उत्पाद निर्धारित करें, आवेदन के साथ जमा करूँगा।

10. यह कि मैं आयकरदाता हूँ/नहीं हूँ (जो लागू न हो, उसे काट दें)। आयकरदाता नहीं होने की स्थिति में खुदरा उत्पाद अनुज्ञाधारी के रूप में चयन होने के उपरांत मैं आगामी वर्षों में आयकर रिटर्न दाखिल करूँगा।

11. यह कि मैं/मेरा HUF/मेरा साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी दिवालिया नहीं हूँ/है और आवश्यक निधि रखता हूँ/है या मैंने कारोबार के सम्व्यवहार के लिए आवश्यक निधि का प्रबंध कर लिया है, जिसका ब्यौरा यदि अपेक्षित होगा, तो लाईसेंस प्राधिकार को उपलब्ध करा दूँगा/देंगे (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

12. यह कि मैं/मेरा HUF/मेरा साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी भारतवर्ष के किसी भी राज्य में मदिरा के विनिर्माण, आपूर्त्तिकर्त्ता, वितरकता एवं थोक बिक्री की अनुज्ञप्ति को धारित नहीं करता हूँ/है।

13. यह कि मैं/मेरा HUF/मेरा साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती प्राप्त करने के उपरांत दुकान को किसी अन्य व्यक्ति को इसे सबलीज नहीं करूँगा/करेगा (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

14. यह कि मैं/हम अनुज्ञप्ति प्राप्त होने के उपरांत अनुसूचित (Scheduled) बैंक में चालू खाता खोलूँगा/खोलेगा।

15. यह कि यदि मैं/मेरा HUF/मेरा साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी दुकान की बंदोबस्ती हेतु लॉटरी में सफल होता हूँ/होती है, तो दिनांक–25.08.2025 तक आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले कागजातों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण पत्र के साथ जिला उत्पाद कार्यालय में जमा कर दूँगा/देंगे (जो लागू न हो, उसे काट दें)।

16. यह कि मैं/मेरा HUF/मेरा साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी बोतलों या उनके लेबलों, सुरक्षा प्रणाली अथवा बार कोड, पिल्फर प्रुफ कैप या सील से जानबूझकर छेड़-छाड़ नहीं करूँगा/करेगा। अनुज्ञप्ति परिसर में कैरामल, रंग, सुगंधि, सुरक्षा प्रणाली अथवा बारकोड, लेबल, कैप्सूल, मुहर अथवा अन्य निषिद्ध सामग्री नहीं रखूँगा/रखेगा, न ही दुकान में नॉन डयूटी पेड स्टॉक रखूँगा/रखेगा। ऐसा करते पाये जाने पर मेरी/मेरा HUF/मेरी साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी को निर्गत अनुज्ञप्ति विखंडित की जा सकेगी, जिसपर मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

17. यह कि मेरी/मेरा HUF/मेरी साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी द्वारा ऑफ अनुज्ञप्ति परिसर में खुली मदिरा की बिक्री नहीं की जायेगी तथा मदिरा का जलापमिश्रण/तनुकरण एवं उच्च श्रेणी की मदिरा में निम्न श्रेणी की मदिरा का अपमिश्रण नहीं किया जायेगा। ऐसा करते पाये जाने पर मेरी अनुज्ञप्ति विखंडित की जा सकेगी, जिसपर मुझे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

18. यह कि उपरोक्त शपथ में दिये गये सभी कथन सत्य हैं और किसी तथ्य को छुपाये जाने पर जिसकी जानकारी बाद में यदि विभाग/सरकार को मिलती है, तो मेरी/मेरा HUF/मेरी साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी को निर्गत अनुज्ञप्ति रद्द किया जा सकता है एवं इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा एवं मेरे/मेरे HUF/मेरे साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी के ऊपर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने के लिए विभाग स्वतंत्र होगा।

19. यह कि मैं/मेरा HUF/मेरी साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' के नियम 10, 11, 12 एवं 13 में आवेदन से संबंधित विशिष्टियाँ धारण करता हूँ एवं नहीं करने की स्थिति में मुझे/मेरे HUF/मेरी साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी के साथ आवंटित लॉटरी/बंदोबस्ती निरस्त कर दी जायेगी एवं मेरे/मेरे HUF/मेरी साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी के द्वारा जमा संपूर्ण राशि (जमानत राशि, अग्रिम उत्पाद परिवहन कर एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) जब्त कर लिया जायेगा।

20. यह कि मेरे/मेरा HUF/मेरी साझेदारी फर्म/मेरी कम्पनी के द्वारा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की अधिसूचना संख्या–903 दिनांक–21.05.2025 द्वारा अधिसूचित ''झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली, 2025'' को पढ़ लिया गया है और मैं इसके सभी शर्त्तों से सहमत हूँ/हैं।

नोटरी पब्लिक का हस्ताक्षर एवं उनकी पहचान संख्या

शपथकर्त्ता का हस्ताक्षर